आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–01 / 2023	
20.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता ने सम्बन्धित थाना में FIR दर्ज करा देने की बात बताई है। आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि दर्ज कराये गये FIR की प्रति आयोग को भेजें ताकि आयोग पुलिस अधीक्षक, बोकारो को FIR की प्रति भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन जल्द से जल्द से उपलब्ध कराने का निदेश दे सके। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–22.03.2023 निर्धारित की जाती है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx48	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.03.2023	**वाद संख्या–01 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। आयोग के अभिलेख में पुलिस अधीक्षक के ज्ञापांक–389 दिनांक–17.02.2023 द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन मौजूद है, इसमें इस आशय की जानकारी दी गई है कि काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है। पुलिस अधीक्षक, बोकारो को आयोग द्वारा दर्ज काण्ड के जांच के फलाफल से अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया है। पुलीस अधीक्षक से अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई हेतु दिनांक–25.04.2023 को रखें। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	